न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-95/1999

हरीराम पुत्र भैंरूराम जाति माली निवासी मानोता कंला तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतडी । ---रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 8-3-99 द्वारा अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू एवं निर्णय दि0 15-12-98 द्वारा तहसीलदार खेतडी ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री उम्मेदराज सैनी एडवोकेट- अपीलान्ट

2- श्री बिरजूसिंह एडवोकेट रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 24.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 10-11-1997 को एक शिकायत श्री बिडदाराम पुत्र धोलाराम निवासी मानोताकंला ने तहसीलदार को अतिक्रमण की शिकायत की । इसी सन्दर्भ में पटवारी हल्का ने इस आशय की रिपोर्ट की कि ग्राम मानोता कंला में राजकीय भूमि ख0नं0 350 में से 500 वर्गमीटर पर गैर सायल ने अतिक्रमण कर लिया है। यह रिपोर्ट आने पर विद्वान तहसीलदार ने कार्यवाही करते हुये बाद सुनवाई गैर सायल को मौके से बेदखल करने का आदेश दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने प्रथम अपील विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां पेश की जिसे बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे

योग्य अदालत मातहत के निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम मानोताकंला की आराजी ख0नं0 350 के दक्षिणी पश्चिमी कोणे के 500 वर्गमीटर में अनाधिकृत कब्जा मानकर बेदखल का जो आदेश दिया गया है वह विधि विरूद्ध है । अदालत मातहत ने बिना माईण्ड अप्लाई किये आदेश पारित किया है । तथा छपे छपाये फार्म पर आदेश पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ख0नं0 350 पर 500 वर्गमीटर भूमि का धारा-9। का नोटिस जारी किया है वह स्वत: ही निरस्त योग्य है क्योकि अपीलान्ट का कब्जा ख0नं0 300 व 350 में से 350 वर्गगज पर ही है । जो 23 वर्ष पुराना कब्जा है। जिस पर पहले अपीलान्ट का पिता काबिज था तथा अब अपीलान्ट का कब्जा है । जिसमें छान छप्पर बना कर रह रहा था छान झोपडी गिरने के बाद पुख्ता मकान बनाये हैं ।इस कारण अपीलान्ट अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है ।अपीलान्ट के पास आराजी के अलावा अन्य आराजी बसने के लिये नहीं है । अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को जिस आराजी पर पटवारी हल्का ने अतिक्रमी बताया है वह गलत है । अपीलान्ट ख0नं0 300 व 350 में से केवल 350 वर्गगज पर काबिज है। इस आराजी पर पहले अपीलान्ट का पिता छान झोपडी बनाकर आवास कर रहा था तथा झोपडी गिर जाने पर अपीलान्ट ने इस आराजी पर पक्के मकान बनाकर आवास निवास कर रहा है ।इस प्रकार अपीलान्ट का इस आराजी पर काफी वर्षो से कब्जा चला आ रहा है जिस पर वह बसा हुआ है । इस प्रकार अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा अतिक्रमण की संज्ञा में नहीं आता है । अदालत मातहत ने मौके की जांच करवाये बिना केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही विश्वास कर आदेश पारित

किया है । अदालत मातहत ने यह भी जांच नहीं करवाई की अपीलान्ट का कहां पर अतिक्रमण है केवल मात्र कयासों के आधार पर ख0नं0 350 पर 500 वर्गमीटर पर कब्जा बताकर अतिक्रमी मानकर विधि विरूद्ध कार्यवाही की है ।अपीलान्ट पुख्ता मकान बनाकर केवल 350 वर्गगज पर काबिज है जिस पर वह काफी समय से आबाद अपने पूर्वजों के समय चला आ रहा है जो अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं है ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों की बिना जांच किये केवल एक छपे छपाये फार्म पर नाम पता व खसरा नम्बर दर्ज कर आदेश पारित कर दिया जो किसी भी रूप में आदेश की परिभाषा में नहीं आता है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश निरस्त किया जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधि संगत है ।अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और अतिक्रमी कभी भी बेदखल किया जा सकता है ।कब्जा पुराना कोई महत्व नहीं रखता है । अतः अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30-11-98 में ख0नं0 350 में से 500 वर्गमीटर पर अतिक्रमी मानकर कार्यवाही की है ।अपीलान्ट को अदालत मातहत में नोटिस दिया जाकर विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया है। अपीलान्ट ने अपना कब्जा पुराना बताया किन्तु अपीलान्ट ने सन् 1992 का राज0 भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस ही कब्जा की ताईद में पेश किया है इसके अलावा अन्य कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा हो ।अदालत मातहत ने साक्ष्य के अभाव में अपीलान्ट को बेदखल किये जाने का आदेश दिया है जो उचित एवं विधिक है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान अपर जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 8-3-99 एवं विद्वान तहसीलदार खेतडी का निर्णय दिनांक 15-12-98 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 24.4.2018 को सुनाया गया ।

24/4/18

भंवरलाल मेहरड़ा
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर